संख्या एलएस/21/2026-अनुपालन प्रकोष्ठ

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 16.06.2026

<u>2026 की परामर्शिका संख्या 13</u>

विषय : निरस्त शीर्षकों हेतु शास्ति के भुगतान के लिए अंतिम अवसर के संबंध में।

यह इस कार्यालय की दिनांक 08.05.2026 की परामर्शिका संख्या 2026 की 08 के अनुक्रम में है, जो वार्षिक विवरण दाखिल करने के संबंध में प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुपालन न किए जाने के कारण निरस्त किए गए शीर्षकों से संबंधित है।

2. निरस्त किए गए शीर्षकों के प्रकाशकों/हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, उनके शीर्षकों की बहाली हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. ऐसे सभी निरस्त शीर्षकों के प्रकाशकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने शीर्षक के प्रति लंबित शास्ति का भुगतान निरस्त सूची से नाम हटाए जाने हेतु (जिनका निरस्तीकरण के उपरांत पुनः रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है) करें तथा यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक विवरण लंबित है, तो उसे **30.06.2026** को अथवा उससे पूर्व प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से दाखिल करें।

4. इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि **30.06.2026** के पश्चात समयावधि में आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। अपेक्षित शास्ति का भुगतान न करने तथा वार्षिक विवरण दाखिल न करने की स्थिति में संबंधित शीर्षकों का स्थायी निरस्तीकरण कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पामुला रत्नाकर)
(उप प्रेस महापंजीयक)